

राजस्थान सरकार  
निर्वाचन विभाग

जयपुर, दिनांक: ०४.१०.२३

एफ ३.(१)(९)प्रथम/निर्वा/२०२३/६१०४

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित :

मुख्य सचिव  
राजस्थान सरकार  
जयपुर।

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/  
शासन सचिव  
राजस्थान सरकार

: महानिदेशक, पुलिस  
राजस्थान, जयपुर।

समस्त अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक/सचिव  
बोर्ड/आयोग/निगम राजस्थान  
समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।

समस्त संभागीय आयुक्त,  
राजस्थान।

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी  
(कलक्टर्स) राजस्थान

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी,  
(NIC) सचिवालय, जयपुर।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग  
राजस्थान, जयपुर।

विषय : विधानसभा आम चुनाव, २०२३ –नई योजनाओं की घोषणा– वित्तीय एवं  
प्रशासनिक मामलों पर प्रतिबंध के संबंध में।

संदर्भ : विभाग के पूर्व पत्रांक ३.(१)(९)प्रथम/निर्वा/२०२३/५६१५ दिनांक २४.०९.२०२३

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य में विधानसभा आम चुनाव, २०२३ निकट भविष्य में सम्पन्न होने है। आगामी विधानसभा आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जायेगी, जो निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की सूचना भारत निर्वाचन आयोग की राजकीय वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी साथ ही आपको विभाग द्वारा सूचना दे दी जायेगी तथा मीडिया के माध्यम से भी इसकी सार्वजनिक जानकारी हो जायेगी।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक ४३७/६/२००९-CC&BE दिनांक ०५.०३.२००९, पत्रांक ४३७/६/२३/२००४ PLN. III दिनांक ११.०३.२००४ एवं ४३७/६/१/२०१४-CC&BE दिनांक ०५.०३.२०१४ में नई योजनाओं की घोषणा एवं वित्तीय और प्रशासनिक मामलों पर प्रतिबंध के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किये गये हैं, साथ ही भारत निर्वाचन आयोग की Manual on Model Code of Conduct, March २०१९ पुस्तिका के अध्याय-०५ में निर्वाचन की घोषणा पर आदर्श आचार संहिता के तहत नई योजनाओं/परियोजनाओं की घोषणा पर तथा साथ ही नई राहत देने पर भी रोक हैं। आयोग ने निर्देश दिया है कि मंत्री एवं अन्य प्राधिकारियों द्वारा किसी भी रूप में किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं करेंगे, उनके वायदे नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं की आधारशिला आदि नहीं रखेंगे, निशुल्क अथवा रियायती पट्टा जारी एवं संदत्त नहीं करेंगे एवं किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति को भूमि आवंटन नहीं करेंगे, सड़कों के निर्माण,

५

प्रेयजल की सुविधा आदि का कोई वायदा नहीं करेगें, जिनका उद्देश्य सत्ताधारी दल के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करना हो आदि के संबंध में आयोग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं, जिनकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।


साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके संदर्भित पत्रांक 05.03.2009 के बिन्दु संख्या 03 द्वारा निम्न निर्देश प्रसारित किये गये हैं:-

After the Model Code of Conduct comes into effect, the Ministry of Finance will need to take prior approval of the Commission on any policy announcements, fiscal measures, taxation related issues and such other financial relief. Similarly, other Ministries/Departments will need to take prior approval of the Commission before announcing any relief/benefit.

आदर्श आचार संहिता प्रभाव में रहने के दौरान उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें। साथ ही समस्त प्रशासनिक विभागों से भी यह अपेक्षा है कि वे अपने प्रशासनिक नियन्त्रणाधिन गठित समस्त बोर्ड, आयोग, निगम आदि निकायों में भी इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराते हुए सभी संबंधित को तदनुसार निर्देशित करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

  
(प्रवीण गुप्ता)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
राजस्थान, जयपुर।

8/10